"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 नवम्बर 2017 — कार्तिक 22, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–22/2017/32. — भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 सहपठित धारा 75 धारा तथा 2 के खण्ड (छ) के उप–खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक कोष के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक कोष नियम, 2017 कहलायेंगे।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16);
   (ख) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण;
   (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष;
   (घ) "कोष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक कोष;
   (ङ) "नियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक कोष नियम, 2017।

3. **कोष की स्थापना.–**
   (1) कोष में निम्नलिखित जमा की जायेगी, अर्थात्:–
      (क) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त किये गये अनुदान एवं ऋण;
      (ख) अधिनियम के अधीन प्राप्त की गई फीस;
      (ग) खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट रकम पर प्राप्त किया गया ब्याज;
      (घ) राज्य सरकार के आदेश से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

(2) प्राधिकरण, कोष की संक्रिया के लिये किसी अनुसूचित बैंक में बैंक खाता खोलेगा। कोष, प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों की एक समिति द्वारा प्रशासित होगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(3) समिति, उद्देश्यों, जिसके लिये कोष गठित किया गया है, के क्रियान्वयन के लिये कोष का उपयोग करेगी।

4. **कोष का उपयोग.**– कोष का उपयोग किया जायेगा,–

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु;

(ख) अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु;

(ग) अपीलीय अधिकरण के प्रशासकीय व्ययों के भुगतान हेतु;

(घ) अधिनियम के प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्रोद्भूत किन्हीं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु।

5. **बजट तैयार करना.**–

(1) प्राधिकरण, वित्तीय वर्ष में उपगत होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण, बजट का उचित लेखा रखेगा तथा उसके अभिलेख का संधारण करेगा।

(3) प्राधिकरण, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा कि भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

6. **बजट, लेखे तथा संपरीक्षा.**–

(1) प्राधिकरण, बजट तैयार करेगा, उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे विहित प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा कि भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं का संपरीक्षण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) प्राधिकरण, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें संबंधित वर्ष के क्रियाकलापों का विवरण सम्मिलित होगा। प्राधिकरण के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

7. **विनियम बनाने की शक्ति.**– समिति, इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनियम बना सकेगी।

8. **कोष का विघटन.**– कोष के विघटन की दशा में, सरकार, विघटन के समय से कोष की समस्त आस्तियों की उत्तराधिकारी होगी।

9. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**– राज्य सरकार विसंगतियों, शंकाओं तथा कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से, समय–समय पर, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगी, जो इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 1–22/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13–11–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 13th November 2017

NOTIFICATION

No. F 1-22/2017/32. — In exercise of the powers conferred by Section 84 read with Section 75 and sub-clause (iv) of clause (g) of Section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Fund, namely :-

RULES

1. **Short title and Commencement.-**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Fund Rules, 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(b) "Authority" means the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority;

(d) "Fund" means the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Fund;

(e) "Rule" means the Chhattisgarh Real Estate Regulatory Fund Rules, 2017.

3. **Establishment of the Fund.-**

(1) The following shall be deposited in the fund, namely:-

(a) grants and loans received from the Central Government and the State Government;

(b) fees received under the Act;

(c) interest received on the amount referred to in clause (a) and (b);

(d) any other amount received by the order of the State Government.

(2) Authority shall open a bank account in any Scheduled Bank for the operation of the fund. The fund shall be administered by a Committee of such members of the Authority, as may be determined by the Chairperson.

(3) The Committee shall utilize the Fund to carry out the objects for which the fund has been constituted.

4. **Utilization of the Fund.**- Fund shall be utilized,-

(a) for payment of salaries and allowances to the Chairperson, members, officers, employees of the Authority;

(b) for payment of salaries to the officers and employees of the Appellate Tribunal;

(c) for payment of administrative expenses of the Appellate Tribunal;

(d) for payment of any other expenses accrue in discharging the functions of the Authority for the purpose of the Act.

5. **Preparing the Budget.-**

(1) The Authority shall prepare an annual budget to meet the expenses to be incurred in the financial year.

(2) The Authority shall maintain a proper account of the budget and shall maintain record thereof.

(3) The Authority shall maintain an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Auditor General of India.

6. **Budget, Accounts and Audit.-**

(1) The Authority shall prepare a budget, maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such prescribed form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Auditor General of India.

(2) The accounts of The Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such Authority as may be specified by him.

(3) The Authority shall prepare an annual report in which a description of the activities of the concerned year shall be included. The Annual report along with the audited annual accounts of the Authority shall be submitted to the State Government for laying it before the State Legislative Assembly.

7. **Power to make Regulatons.**- The Committee may may make regulations for the purposes carrying out the provisions of these rules.

8. **Dissolution of the Fund.**- In the event of dissolution of the Fund, the Government shall be the successor of all assets of the Fund at the time of dissolution.

9. **Power to remove difficulties.**- The State Government, may issue instructions not inconsistent with the provisions of these rules, from time to time, with a view to remove anomalies, doubts and difficulties.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.